

भारतीय मानक ब्यूरो
लेखा विभाग मुख्यालय

संदर्भ : लेखा / 7:13

दिनांक : 1 मार्च 2018

विषय : : सी&एजी द्वारा बीआईएस की लेखा परीक्षा 2014-15 से 2016-17 वर्ष के लिए

नोट संख्या लेखा/7:13 दिनांकित 1 मार्च 2018 आवश्यक कार्यवाही हेतु सलंगन है।

हस्ता /-
(विनोद कुमार)
निदेशक(लेखा)

मुख्यालय के सभी विभागों व डीडीजी(लेब्स)/डीडीजी(टी आई)/प्रमुख-
गाजियाबाद शाखा कार्यालय/प्रमुख-फरीदाबाद शाखा कार्यालय

प्रतिलिपि

- आईटीएस: इंटरनेट के माध्यम से परिचालित करने के लिए

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(ACCOUNTS DEPARTMENT:HQ)

Ref: Accts/7:13

1st March 2018

Sub: C&AG Transaction Audit of BIS for the year 2014-15 to 2016-17

**The Note No. Accts/7:13 dated 01.03.2018 on the subject is enclosed for
necessary action.**

**sd/-
(Vinod Kumar)
Director (Accounts)**

Circulated through INTRANET to:

All departments at Headquarters and DDG(Labs)/DDG(TI)/Head-GZBO/Head-FDBO

Copy to: ITSD: for hosting on Intranet

Accounts Department

Hqrs, New Delhi

Ref: Accts/7:13

1st March 2018

Sub: C&AG Transaction Audit of BIS for the year 2014-15 to 2016-17

1. The Statutory Audit of BIS by C&AG as required under Section 22(2) of BIS Act is being conducted in two stages i.e. (i) Certification Audit of Annual Accounts & Balance Sheet of BIS and (ii) Transaction Audit of Accounts & other activities of BIS.
2. As per the intimation received from the Sr. Audit Officer(AMG-III), Office of the Director General of Audit(Central Expenditure), New Delhi vide letter No. Audit Team No. 01 dated 01 March 2018 (copy enclosed), the Transaction Audit of BIS for the year 2014-15 to 2016-17 is commencing from today i.e 01 March 2018.
3. Heads of all departments at Hqrs are requested that prompt action may be taken to furnish records and replies to the audit memos which may be issued by the Local Audit Party during inspection. Unless replies are furnished promptly, the audit will not be in a position to exclude the points taken up in the audit memos. It will, therefore, be in the interest of all to devote attention to it and furnish to the inspecting party with the replies and the relevant records within the same day. The compliance to the old audit paras along with the replies may also be furnished immediately by the concerned departments.
4. Accounts Department will be the liaison department for day to day coordination in the audit function. The Audit Party will be sitting in Room No. 257 of Manakalaya Building and the intercom extension number is 8428 and telephone No. 23236432.

(Vinod Kumar)
DAC

Circulated through INTRANET to:

All departments at Headquarters and DDG(Labs)/DDG(TI)/Head-GZBO/Head-FDBO

Copy for kind information to: DG
ADG
CVO

DDG(Cert)/DDG(Stand.)/DDG(PP&C)

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय) नई दिल्ली -110002
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL EXPENDITURE)
INDRAPRASTHA ESTATE, NEW DELHI-110002
दूरभाष/Phone:23454350 फैक्स न./Fax No. 23702271

AMG-III


लेखापरीक्षा दल संख्या 01

दिनांक:01/03/2018

संगठन का नाम तथा पता जिसकी लेखापरीक्षा की जानी है (Details of Auditee Organisation)	लेखापरीक्षा की अवधि (Years of Audit)	लेखापरीक्षा हेतु कार्यदिवस No. Of working days for audit	11 wd
Transaction audit of Bureau of Indian Standards (BIS), Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002.	2014-15 to 2016-17	01.03.18 to 16.03.18	

लेखापरीक्षा दल संख्या 01 के सदस्य

क्रमांक	नाम	पदनाम
1	Sh. Nand Kishore	Sr. Audit Officer
2	Sh. Sudhir Kumar	Asstt. Audit Officer
3	Sh. Praveen Singh	Auditor


व.लेखापरीक्षा अधिकारी (AMG-III)

विशेष टिप्पणी:

- कृपया संलग्न अनुदेशों का अवलोकन करें
 - कृपया लेखापरीक्षा शुरू करने से पहले लेखापरीक्षा अधिकारी (डी.पी.सैल.-ए.एम.जी.-।।।) से आवश्यक अनुदेश लें
 - कृपया लेखापरीक्षा शुरू करने से पहले अनुभाग में रखे गए का अवलोकन करें, यदि उसमें उपरोक्त संगठन से संबंधित कोई विशेष टिप्पणी अथवा कार्य दर्ज है तो उसे तदनुसार करें,
 - CAG's (DPC) Act1971 की धारा 19(2)/20(1) में की जाने वाली लेखापरीक्षा हेतु संबंधित इकाई द्वारा देय लेखापरीक्षा शुल्क की वर्तमान दरों की प्रति लेखापरीक्षक (SAR) अथवा स.ले.प.अ. (SAR) से प्राप्त करें देय लेखापरीक्षा शुल्क के विवरण में यह तथ्य अवश्य लिखें कि लेखापरीक्षा शुल्क की दरें गणना पांचवे वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित वेतन के संदर्भ में की गयी है अतः वित्त मंत्रालय भारत सरकार से छठे वेतन आयोग के अनुरूप लेखापरीक्षा शुल्क की गणना हेतु सूत्र प्राप्त होने के पश्चात यदि आवश्यकता हुई तो पूरक विपत्र भेजा जाएगा
- सामान्य अनुदेश (for both Transaction and Certification Audits)**
- लेखापरीक्षा आरंभ करते ही लेखापरीक्षा के स्थान की सूचना (कमरा संख्या, विंग, तल आदि) दूरभाष संख्या सहित ए.एम.जी.।।। मुख्यालय को दी जाए।

- कम्प्यूटर द्वारा तैयार की गई लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की soft copy भी ए.एम.जी.।।। मुख्यालय को दी जाए (यदि संभव हो तो सॉफ्ट कॉपी amg3hq@gmail.com पर ईमेल कर दें जिससे वायरस की परेशानी से बचा जा सके)
- लेखापरीक्षा प्रारंभ करने से पहले तथा समाप्ति पर निदेशक (ए.एम.जी.-।।।) से आवश्यक निर्देश लें।
- लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ टाइटल सीट पृष्ठों की संख्या, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर इयूटी लिस्ट आदि पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए।
- उपरोक्त कार्यालय की लेखापरीक्षा समाप्ति के बाद अगली लेखापरीक्षा प्रारंभ करने से पूर्व कार्यक्रम समापन का ज्ञापन ए.एम.जी.-।।। मुख्यालय को दी जाए।
- CAG's (DPC) Act 1971 की धारा 19(2)/20(1) में की जाने वाली लेखापरीक्षा (Transaction as well as certification audits) हेतु संबंधित इकाई द्वारा देय लेखापरीक्षा शुल्क की लंबित राशि (यदि कोई हो तो) की Recovery/adjustment के लिए विशेष प्रयत्न किया जाए तथा वर्तमान शुल्क का विवरण इकाई द्वारा भुगतान हेतु लेखापरीक्षित इकाई को दो प्रतियां मुख्यालय तथा एक प्रति PAO O/o the Pr. AG (Audit) Delhi को भी दें।

विशिष्ट अनुदेश (for Certification Audit- पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए)

- लेखापरीक्षित इकाई के लेखों (Balance Sheet, Income & Expenditure Account, Receipt and Payment Account and the schedules appended to accounts etc.) के प्रत्येक पर इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं, अतः कृपया इसे सुनिश्चित करें,
- कृपया लेखापरीक्षित इकाई के Memorandum of Association तथा Article of Association की प्रति डाफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ उपलब्ध कराएं
- कृपया सभी चेक लिस्ट (पूर्ण रूप से भरी हुई) डाफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ उपलब्ध कराएं।
- कृपया पुराना बकाया लेखापरीक्षा शुल्क की प्राप्ति हेतु विशेष प्रयत्न करें तथा इस संबंध में अनुभाग में उपलब्ध Outstanding Audit Fee Register से संबंधित इकाई की बकाया शुल्क का विवरण लें साथ ही इकाई द्वारा देय वर्तमान लेखापरीक्षा शुल्क

विशिष्ट अनुदेश (for transaction audits)

- लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ आई.टी. प्रोफार्मा पूर्ण रूप से भरकर ए.एम.जी.-।।। मुख्यालय को दी जाए।
- लेखापरीक्षा से संबंधित प्रतिवेदन की ग्रेडिंग पूर्ण रूप से भरी होनी चाहिए।
- सी.ए.जी. कार्यालय के यू.ओ. पत्र संख्या 149 Rep[(C)/8-2005 दिनांक 2 मार्च 2005 के अनुसार सभी लेखापरीक्षा दल वांछित जानकारी संबंधित प्रोफार्मा में भरकर ए.एम.जी.-।।। मुख्यालय को दें।
- पिछले लंबित पैरों का निपटान उच्च प्राथमिकता देकर किया जाना है। लेखापरीक्षित इकाई से लंबित पैरों पर उपचारी कार्यवाही रिपोर्ट प्राप्त कर exit conference के समय उस पर गहन चर्चा की जाए तथा जहां तक संभव हो उनका निपटान किया जाए। Exit Conference से पूर्व उसके लिए एक औपचारिक ज्ञापन इकाई को दिया जाए तथा तिथि एवं समय पता चलने पर वर्गाधिकारी को सूचित किया जाए ताकि आवश्यकतानुसार वर्गाधिकारी exit conference में भाग ले सके।

जिस युनिट में कंट्रैक्ट लेबरर हो वहां के Minimum wages aspect की जांच करनी है। उपरोक्त संगठन से संबंधित Sanctions जो कि अनुभाग में संबंधित लेखापरीक्षक के पास उपलब्ध हैं, लेखापरीक्षा दल अवश्य एकत्रित कर लें।